167

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3127—एक/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25—08—2015 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार, जिला—भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 20/2014—15/अपील

.....

रघुवर दयाल पुत्र रमोले जाटव,
निवासी— ग्राम दुबार मजरा दाह का पुरा,
परगना व जिला—भिण्ड, (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— ऊदल सिंह पुत्र कामता प्रसाद,
2— हरी सिंह पुत्र कामता प्रसाद,
3— रामप्रकाश पुत्र कामता प्रसाद,
निवासीगण— ग्राम दुबार मजरा दाह का पुरा,
परगना व जिला—भिण्ड, (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
श्री ओ0पी0,शर्मा अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2 व 3

.....

आदेश

(आज दिनांक 18-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार जिला—भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—08—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 962, 1057, 1130, 1156, 1157, 1160, 1161, 1162, 1163, 1167, 1175, 1176, 1177, 1178 एवं सर्वे नम्बर 1183 कुल किता —15 कुल रकवा 3.438 हैक्टयर भूमि की भूमि स्वामी जानकी पत्नी मृतक पंचे भूमिस्वामी रही थी। विवादित भूमि की भूमि स्वामी जानकी पत्नी मृतक पंचे द्वारा जीवनकाल में आवेदक

क पक्ष में दिनांक 19.12.1997 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा सम्पादित किया गया था । उनके मरने के पश्चात आवेदक रधुवरदयाल द्वारा उक्त वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार वृत उमरी जिला–भिण्ड के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त वादग्रस्त भूमियों का नामांतरण अपने नाम किये जाने का निवेदन किया गया। इसी बीच अनावेदकगण के पिता कामता द्वारा फर्जी वसीयतनामा के आधार पर अपना नामांतरण चाहा, किन्तु असल वसीयतनामा प्रस्तुत न करने के कारण तहसीलदार द्वारा जॉच उपरान्त आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश दिनांक 05.10.2001 पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्व प्रकरण राजस्व मण्डल तक प्रचलित रहा जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 1889–11/2006 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 22.01.2009 द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार वृत उमरी की ओर प्रत्यावर्तित किया गया कि–" विवादित भूमि के संबंध में संपादित की गई दोनों मूल वसीयतों को प्रकरण में संलग्न कर वैधता की जांच करें । जांच उपरांत विवादित भूमि का इन्द्राज पूर्व की स्थिति में कराया जाये। तदोपरांत पूर्ण जांच, साक्ष्य आदि लेने के बाद नामांतरण नियामें के अनुरूप विधिवत नामांतरण आदेश पारित करें। न्यायालय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 22.01.2009 के परिपालन में तहसीलदार वृम उमरी द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 45/2000–01/अ–6 में आवेदक एवं अनावेदकगण को विवादित मूल वसीयतनामा न्यायालय के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने के लिये आदेशित किया गया। आवेदक द्वारा मूल वसीयत जांच हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, किन्तु अनावेदकगण को कई अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत भी मूल वसीयत पेश नहीं की गई । तहसीलदार वृत उमरी द्वारा संहिता की धारा 109–110 के तहत निर्मित नामांरतण नियमों के अन्तर्गत आवेदक के पक्ष में अपने प्रकरण क्रमांक 45/2000–01/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2010 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) लहार के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण 20/2014–15/अपील माल पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 द्वारा अनावेदकगण के हित में आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि आवेदक द्वारा उक्त असल वसीयतनामा को तहसीलदार के समक्ष दिनांक 14.10.2010 को पेश किये जाने का उल्लेख आवेदक रधुवरदयाल के साक्षी सदाशित व भंवरसिंह तथा सुभाषबाबू के कथन में स्पष्ट

उल्लेख है। इसके अलावा तहसीलदार के प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 21.10.10 एवं नामांतरण आदेश के पैरा–2 में मूल वसीयत पेश करने का उल्लेख है। उक्त तथ्यों को अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी लहार ने आवेदक के आवेदन–पत्र को निरस्त कर दिया। जबकि आवेदक द्वारा मूल वसीयतनामा प्रकरण से संबंधित होकर आधारभूत दस्तावेज था जो प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अनुविभागीय अधिाकरी ने इस महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है। न्यायालय राजस्व मण्डल कें आदेश दिनांक 22.01.2009 के परिपालन में ही आवेदक द्वारा अपनी मूल वसीयत तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो प्रकरण से निकालकर गायब कर दी गई, जिसे खोजकर प्रकरण में संलग्न कराने बावत आवेदक का आवेदन–पत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया। तहसीलदार का वरिष्ठ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का न्यायालय है जिसमें प्रकरण संचालित था। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर मूल वसीयत खोजकर प्रकरण में संलग्न कराये जाने का आदेश प्रदान करना उचित था, लेकिन ऐसा न कर आवेदक का आवेदन–पत्र विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त करना उचित समझा । अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 26.03.2015 को एक आवेदन–पत्र, आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी लहार के न्यायालय में इस बावत पेश किया कि तहसील न्यायालय में मूल वसीयत पेश की गई थी, जिसका ऑडरशीट में हवाला है । प्रकरण में से वसीयतनामा निकालकर गायब कर दी गई है, सुनवाई हेतु मूल वसीयत की आवश्यकता है। जिसने निकाली उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाना अति आवश्यक है। खोजकर संलग्न कराई जावे तथा दोषी के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराई जावे। द्वितीय प्रति साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने की आज्ञा प्रदान करें। उक्त प्रस्तुत आवेदन–पत्र का अनावेदकगण द्वारा जवाब अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें बताया कि मूल वसीयत प्रकरण में पेश नहीं । आवेदक के कथन में मूल वसीयत प्रस्तुत होन की तथा उस पर प्रदर्श अंकित करने का कोई उल्लेख नहीं ह। किसी

भी कार्यवाही का उसमें स्वत्व निहित न होने से अनावश्यक दोषारोपण किया है, स्पष्ट नहीं किया गया किस कर्मचारी के विरूद्ध शिकायत है तथा किसके विरूद्ध कार्यवाही चाहता है। पूर्व में फोटोस्टेट भी प्रस्तुत की गई थी, उसी फोटोस्टेट को द्वितीय साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने हेतु आधार बनाने के उद्देश्य से आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर ही अनुविभागीय अधिकारी लहार ने आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र को निरस्त किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.15 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर